

पंजी 2311/2021

नायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
गान्ध्याय पुत्र मेवायत	ना	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 155 / 2021 GCMS No. 2021/841

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

2311/2021 वादी श्री गान्ध्याय पुत्र मेवायत जाति पार निवासी (पंजी) द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पंजी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम त्रिहिजा पटवार मण्डल सारकोठ के खाता नम्बर 74.78 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि गान्ध्याय पुत्र मेवायत दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम गान्ध्याय पुत्र मेवायत है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 66839/1102/81 आधार नम्बर 7391 0867 5396 मतदाता पहचान पत्र 65R/1390223 अन्य दस्तावेज स.न. 2021/100/100 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी सारकोठ भू.अ.नि गणपत एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। 770-772 पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

